108

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, म.प्र.

01. फूलमती पत्नी रामबिहारी

02. सियादुलारी पत्नी रामखेलावन चौधरी, दोनों निवासी धवारी, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना म.प्र.......................................निगराकारगण

नि.गा – 1372 – II/16

बनाम

नत्थू प्रजापति तनय भूरा प्रजापति, निवासी धवारी, गली नं.–1 चांदमारी रोड सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना म.प्र....................गैरनिगराकार

दिनांक 2-5-16 को श्री आर. एस. सेंगर अभि० द्वारा प्रस्तुत

प्रस्तुत 2-5-16 50

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959</u>
<u>विरुद्ध आदेश एवं अनियमित कार्यवाही दिनांक 17.</u>
<u>09.2015 एवं 15.01.2016</u>
<u>जरिए रा.प्र.क्र.18अ70/2005–06</u>

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है –

यह कि निगराकार मौजा धवारी की आ.नं.–326/1क/2/1 एवं आ.नं.–326/1क/2/2 कुल किता 2 कुल रकवा 0.07–1/4 ए. की अभिलिखित भूमिस्वामिनी है जो उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर मौके से कब्जा, दखल प्राप्त किया गया था, उक्त आराजी में गैरनिगराकार एवं उसके विक्रेता का किसी प्रकार से कोई हक, हित या सरोकार नहीं है। जिसके संबंध में निगराकारगणों द्वारा अपनी आराजियात की चतुर्सीमा ज्ञात किए जाने के संबंध में तहसीलदार रघुराजनगर के समक्ष राजस्व प्र.क्र.26अ12/2005–06 प्रस्तुत किया जाकर विधिवत सीमांकन मौके से कराया जाकर दिनांक 31.12.2005 को पुष्टि कराए जाने के उपरान्त उनकी आराजियात में जो अतिक्रमण

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1372-दो/16 **जिला** - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार रघुराजनगर के प्रकरण क्र. 18/अ-70/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2015 एवं 15.01.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2019 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	